

विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2023 के प्रथम गुरुवार हेतु निर्धारित श्री भीम राव अम्बेडकर,
माओ सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-6 का उत्तरालेख्य

प्रश्न

6(क)- क्या आयुष मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के आयुष विभाग हेतु स्वीकृत कुल पदों का विवरण क्या है ?

उत्तर

आयुष विभाग के अन्तर्गत तीन विभाग हैं यथा आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी।

(1) आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत कुल पदों का विवरण:-

समूह-क-310

समूह-ख-4183

समूह-ग-3469

समूह-घ-5319

कुल पद-13281

(2) यूनानी विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत कुल पदों का विवरण:-

समूह-क-77

समूह-ख-321

समूह-ग-412

समूह-घ-609

कुल पद-1419

(3) होम्योपैथी के अन्तर्गत स्वीकृत कुल पदों का विवरण:-

समूह-क-769

समूह-ख-1487

समूह-ग-1896

समूह-घ-2610

कुल पद- 6762

6(ख) उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली 1975 (अद्यावधिक) उत्तर प्रदेश सचिवालय अनुदेश 1982 तथा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-2/2022/105/43-2-2022 दिनांक 23 मार्च 2022 के अधीन आयुष विभाग में व्यवहृत होने वाले प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्णय का स्तर क्या निर्धारित किया गया है?

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2051/96-आयुष-2-2023-232/ 2017, दिनांक 06 जुलाई 2023 द्वारा आयुष विभाग में व्यवहृत होने वाले प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्णय का स्तर निर्धारित है, जिसकी प्रति संलग्न है।

डा० दयाशंकर मिश्र "दयालु"
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।

उत्तर प्रदेश शासन
आयुष अनुभाग-2
संख्या:-205/98-आयुष-2-2023-232/2017
तख्तक: दिनांक 06 जुलाई, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

आयुष विभाग के अर्न्तगत आयुष अनुभाग-1/2 में संपादित होने वाले कार्यों के प्रस्तुतीकरण का चैनल एवं निर्णय का स्तर निर्धारण सम्बन्धी आयुष अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या:- 79/96-आयुष-2-2023-232/2017, दिनांक 29 मई, 2023 को अवकमित करते हुए आयुष विभाग के अर्न्तगत आयुष अनुभाग-1/2 में संपादित होने वाले कार्यों के प्रस्तुतीकरण का चैनल एवं निर्णय का स्तर तात्कालिक प्रभाव से निम्नांकित अभ्युक्तियों के अधीन निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

निर्णय स्तर आयुष अनुभाग-1

क्र.सं.	विभागों में व्यवहृत होने वाले विभिन्न प्रकार के मागले	प्रस्तुतीकरण का स्तर (Submission Channel)				निर्णय के स्तर जो निर्धारित किए गये हैं। (Level of Decision.)
		अनुसचिव/ उपसचिव	संयुक्त सचिव/ विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	मा० मंत्री/ मा० मुख्यमंत्री जी	
1	2	3	4	5	6	7
1.	नये राजकीय कालेजों की स्थापना।	अनुसचिव/ उपसचिव	विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	मा० मंत्री/ मा० मुख्यमंत्री जी	मा० मुख्यमंत्री जी
2.	निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में अनागति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना।	अनुसचिव/ उपसचिव	विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	मा० मंत्री	मा० मंत्री
3.	प्रवेश परीक्षा, कानूनी विभाग, कालेजों की फीस का निर्धारण।	अनुसचिव/ उपसचिव	विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	मा० मंत्री	मा० मंत्री
4.	इ-टर्निशिप छात्रों का स्थानान्तरण, कालेजों से सम्बन्धित अन्य शेष सभी प्रकरण।	अनुसचिव/ उपसचिव	विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	—	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव
5.	चिकित्सा अभिकारियों/शिक्षकों का स्थानान्तरण।	अनुसचिव/ उपसचिव	विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुसार सक्षम स्तर का निर्णय प्राप्त किया जाय।	कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुसार सक्षम स्तर का निर्णय प्राप्त किया जाय।
6.	निदेशक की तैनाती/पदोन्नति।	अनुसचिव/ उपसचिव	विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	मा० मंत्री/ मा० मुख्यमंत्री जी	मा० मुख्यमंत्री जी
7.	सेवा नियमावली, अधिनियम आदि।	अनुसचिव/ उपसचिव	विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	मा० मंत्री/ मा० मुख्यमंत्री/ मा० मंत्री-परिषद्	मा० मंत्री/ मा० मुख्यमंत्री/ मा० मंत्री-परिषद्
8.	निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था का निर्धारण।	अनुसचिव/ उपसचिव	विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	मा० मंत्री	मा० मंत्री
9.	वित्तीय स्वीकृति जारी किया जाना।	अनुसचिव/ उपसचिव	विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	वित्त विभाग के शासनादेशों के अनुसार सक्षम स्तर का निर्णय	वित्त विभाग के शासनादेशों के अनुसार सक्षम स्तर का निर्णय

/

10.	तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण/सम्बद्धता तथा अन्य अनिवार्य आवश्यकताएँ।	अनुसचिव/ उपसचिव	विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	प्राप्त किया जाय। कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुसार सक्षम स्तर का निर्णय प्राप्त किया जाय।	प्राप्त किया जाय। कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुसार सक्षम स्तर का निर्णय प्राप्त किया जाय।
11.	हिन्दू धर्म/अल्पसंख्यक/सिक्ख/मुसलमान/बौद्ध/जैन/अन्य धर्मों के लोगों के सम्बन्धी कार्य।	अनुसचिव/ उपसचिव	संयुक्त सचिव/ विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	—	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव
12.	गृह-मन्त्रालय के अधिकार।	अनुयाग अधिकारी /अनुसचिव, अपीलीय अधिकारी	—	—	—	—
13.	अभिज्ञान के नीतिगत एवं विनियमन के कार्य।	—	संयुक्त सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	—	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव
14.	आयुक्तिक, यूनानी एवं स्थानीय विनियमन बोर्ड 1. माओ आन्दोलन को नाशित किया जाना। 2. माओ आन्दोलन को नाशित किया जाना। 3. अन्य अनिवार्य मामलों।	अनुसचिव/ उपसचिव अनुसचिव/ उपसचिव अनुसचिव/ उपसचिव	— — संयुक्त सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	माओ मंत्री/ माओ मुख्यमंत्री जी माओ मंत्री माओ मंत्री	माओ मुख्यमंत्री जी माओ मुख्यमंत्री जी माओ मंत्री
15.	विशेषी कर्म (विशेष गण्डल के प्रश्न, सूचनाएं, नियम आदि)	—	संयुक्त सचिव/ विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	माओ मंत्री	माओ मंत्री
16.	आर्किटेक्ट अपारिणों का निरन्तरण।	अनुसचिव/ उपसचिव	संयुक्त सचिव/ विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	—	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव
17.	आर्किटेक्ट के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही/ दण्ड के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदन का निरन्तरण।	अनुसचिव/ उपसचिव	विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	माओ मंत्री	माओ मुख्यमंत्री जी
18.	आर्किटेक्टों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही/ दण्ड के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदन का निरन्तरण।	अनुसचिव/ उपसचिव	विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	माओ मंत्री	माओ मंत्री

नोट— ऐसे समस्त कार्य जो उपरोक्त तालिका में चिन्हित नहीं किये गये हैं एवं सामान्य कार्य के अन्तर्गत कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ और मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव के द्वारा निरन्तरित की जायेगी।

निर्णय स्तर आयुष अनुभाग-2

क्र० सं०	विभागों में व्यवहृत होने वाले विभिन्न प्रकार के मामले	प्रस्तुतिकरण का स्तर (Submission Channel)				निर्णय के स्तर जो निर्धारित किए गये हैं। (Level of Decision)
		अनुसचिव/उपसचिव	संयुक्त सचिव/विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	मा० मंत्री/मा० मुख्यमंत्री जी	
1	2	3	4	5	6	7
1.	नये राजकीय कालेजों की स्थापना।	अनुसचिव/उपसचिव	विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	मा० मंत्री/मा० मुख्यमंत्री जी	मा० मुख्यमंत्री जी
2.	निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना।	अनुसचिव/उपसचिव	विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	मा० मंत्री	मा० मंत्री
3.	प्रवेश परीक्षा, काउन्सिलिंग, कालेजों की परीस का निर्धारण।	अनुसचिव/उपसचिव	विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	मा० मंत्री	मा० मंत्री
4.	इन्टर्निशिप, छात्रों का स्थानान्तरण, कालेजों से सम्बन्धित अन्य शेष सभी प्रकरण।	अनुसचिव/उपसचिव	विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	—	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव
5.	चिकित्साधिकारियों/शिक्षकों का स्थानान्तरण।	अनुसचिव/उपसचिव	विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुसार सक्षम स्तर का निर्णय प्राप्त किया जाय।	कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुसार सक्षम स्तर का निर्णय प्राप्त किया जाय।
6.	निदेशक की तैनाती/पदोन्नति।	अनुसचिव/उपसचिव	विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	मा० मंत्री/मा० मुख्यमंत्री जी	मा० मुख्यमंत्री जी
7.	सेवा नियमावली, अधिनियम आदि।	अनुसचिव/उपसचिव	विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	मा० मंत्री/मा० मुख्यमंत्री/मा० मंत्री-परिवर्त	मा० मंत्री/मा० मुख्यमंत्री/मा० मंत्री-परिवर्त
8.	निर्माण कार्य हेतु कार्यदारी संस्था का निर्धारण।	अनुसचिव/उपसचिव	विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	मा० मंत्री	मा० मंत्री
9.	वित्तीय रवीकृति जारी किया जाना।	अनुसचिव/उपसचिव	विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	वित्त विभाग के शासनादेशों के अनुसार सक्षम स्तर का निर्णय प्राप्त किया जाय।	वित्त विभाग के शासनादेशों के अनुसार सक्षम स्तर का निर्णय प्राप्त किया जाय।
10.	तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण/सम्बद्धता तथा अन्य अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य।	अनुसचिव/उपसचिव	विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुसार सक्षम स्तर का निर्णय प्राप्त किया जाय।	कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुसार सक्षम स्तर का निर्णय प्राप्त किया जाय।
11.	निदेश यात्रा/आवकाश/चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी कार्य।	अनुसचिव/उपसचिव	संयुक्त सचिव/विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	—	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव
12.	सूचना का अधिकार।	अनुभाग अधिकारी/अनुसचिव, अपीलीय	—	—	—	—

3

13.	अभिलेखों की सीडिंग एवं रि-नॉस्ट्रिफिंग का कार्य।	अधिकारी	संयुक्त सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	—	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव
14.	माओ लोकप्रतिक वेडिडिच मोड					
	1. माओ आन्दोलन को नाशित विनाश करना।	अनुसचिव/उपसचिव	—	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	माओ मंत्री/ माओ मुख्यमंत्री जी	माओ मुख्यमंत्री जी
	2. माओ समर्थकों को नाशित विनाश करना।	अनुसचिव/उपसचिव	—	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	माओ मंत्री/ माओ मुख्यमंत्री जी	माओ मुख्यमंत्री जी
	3. अन्य भीषणता मापने।	अनुसचिव/उपसचिव	संयुक्त सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	माओ मंत्री	माओ मंत्री
15.	विद्यार्थी कार्य (विद्यार्थी मण्डल के प्रश्न, सूचनाएँ, नियम आदि)	—	संयुक्त सचिव/विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	माओ मंत्री	माओ मंत्री
16.	आन्दोलन आपत्तियों का निराकरण।	अनुसचिव/उपसचिव	संयुक्त सचिव/विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	—	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव
17.	विदेशीय के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही/दण्ड के विरुद्ध प्राप्त प्रस्तावों का निराकरण।	अनुसचिव/उपसचिव	विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	माओ मंत्री	माओ मुख्यमंत्री जी
18.	विदेशीय के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही/दण्ड के विरुद्ध प्राप्त प्रस्तावों का निराकरण।	अनुसचिव/उपसचिव	विशेष सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	माओ मंत्री	माओ मंत्री

नोट:- ऐसे समस्त कार्य जो उपरोक्त तालिका में चिन्हित नहीं किये गये हैं एवं सामान्य प्रकृति के समस्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव के द्वारा निरन्तरित की जायेंगी।

लीना जीहरी,
प्रमुख सचिव।

संख्या-2051 (1)/96-आयुष-2-2023, तदुद्दिष्ट।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, माओ मंत्री जी, आयुष विभाग, उ०प्र० शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आयुष विभाग, उ०प्र० शासन।
3. निजी सचिव, विशेष सचिव, आयुष विभाग, उ०प्र० शासन।
4. अनुसचिव/अनु सचिव, आयुष विभाग, उ०प्र० शासन।
5. अनुसचिव/अधिकारी, आयुष अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
6. माओ फाइल।

आज्ञा से,
(शैलेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।